न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 28/2023
दायरी दिनांक 04.04.2023

सवाई सिंह पुत्र बृजलाल सिंह जाति धाबाई निवासी ग्राम गुआं तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार झुन्झुनू

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 24.04.2025

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है किआराजी हाल खसरा नम्बर 90, 91, 92, 93, रकबा 1.9100 हैक्टर गत खसरा नम्बर 57/1, 57/2 11 बीघा 7 बिश्वा सरहद नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू स्थित है।आवेदक उक्त आराजी का सह खातेदार काश्तकार है। आराजी के अन्य सह खातेदार रतन सिंह पुत्र बेरीशाल सिंह, लक्ष्मी देवी पत्नी रघुवीर सिंह, खेमसिंह, आलोक, बनवारीलाल, दिनेश सिंह पुत्रगण रघुवीर सिंह आवेदक के भतीजे व पौत्र है। यह कि आवेदक की सह खातेदारी की उक्त आराजी का नक्शा दौराने हाल भू–प्रबन्ध पूर्व की भांति नहीं बनाया जाकर गलत नक्श: बना दिया गया। भू–प्रबन्ध विभाग को दौराने सेटलमेन्ट गत नक्शा के मुताबिक ही हाल नक्शा बनाना चाहिये था।जमीन के गलत नक्शा के कारण आवेदक के खेत खसरा नम्बर 90, 91, 92, 93 को सीमा भी मौके पर तय नहीं है।ऐसी स्थिति में नक्शा शीट को दुरूस्त कर सीमा निर्धारण किया जाना उचित व आवश्यक है ताकि अनावश्यक कोई विवाद पैदा नहीं हो और आवेदक अपनी कृषि भूमि को चौन से काश्त कर सकें व उपयोग उपभोग कर सकें।यह कि पुराना खसरा संख्या 57/2 में वर्णित खसरा 90, 91, 92 में संलग्न नक्शे के अनुसार स्थिति दर्ज है उसी के अनुसार खसरा संख्या 91 रूपान्तरित आबादी में है तथा ख. नं. 92 में उतरी भाग 0.1000 हैक्टर भूमि भी आवासीय समपरिवर्तित है शेष पूर्व का भाग यथास्थिति में है।अतः दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अनावेदक को आदेश दिया जावें कि जमीन हाल खसरा नम्बर 90, 91, 92, 93 रकबा 1.9100 हैक्टर सरहद नुआं तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की हाल नक्शा शीट गत नक्शा सीट के मुताबिक दुरूस्त की जाकर जमीन की नपति करवाई जाकर सीमा निर्धारण करवाई जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जाकर आवेदक को कब्जा सम्भलाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा ने पत्रांक 1024 दिनांक 04.07.

2024 के द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि गत एवं हाल नक्शा सीट में तफावत सिद्व नहीं होती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। धारा 136 के तहत धारा 136 के तहत मूल रूप से राजस्व रिकार्ड नक्शा में परिवर्तन नही किया जा सकता है केवल मात्र लिपिकीय त्रुटियों में संशोधित कर शुद्व कर सकते है। प्रार्थी पक्ष द्वारा राजस्व नक्शा ट्रेस में संशोधन चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट 1956 में दिया जाना संभव नही है। उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

निर्णय

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट 1956 के तहत पोषणीय नहीं होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा